न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता ,(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध (उत्तराधिकार अधि.) संख्या 22/2025

श्रीमती मीना गुप्ता पत्नी स्व. श्री तेजसिंह गुप्ता, निवासी 5, लक्ष्मण भवन नसीराबाद रोड़, आदर्श नगर, अजमेर

– प्रार्थिया

बनाम

1. श्रीमती अंजुल सिंह पुत्री स्व. श्री तेजसिंह गुप्ता, पत्नी श्री प्रताप सिंह, निवासी एम.आई.जी. 154, माधव नगर, ए.जी.ऑफिस ग्रिड ग्वालियर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) हाल निवासी 5 लक्ष्मण भवन, नसीराबाद रोड़, आदर्श नगर, अजमेर
2. मुकुल गुप्ता पुत्र स्व. श्री तेजसिंह गुप्ता, निवासी 5, लक्ष्मण भवन नसीराबाद रोड़, आदर्श नगर, अजमेर
3. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, छोटी खाटू, जिला चुरू (राजस्थान)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

उपस्थित:

1. श्री सी.पी.गुप्ता, अधिवक्ता, प्रार्थिया, की ओर से।
2. श्री अभिषेक माथुर, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश **दिनांक: 18.03.2026**

1. प्रार्थिया श्रीमती मीना गुप्ता पत्नी स्व. श्री तेजसिंह द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थिया की पुत्री पारूल गुप्ता का देहान्त दिनांक 26.02.2016 को हो गया। प्रार्थिया व उसके पति तेजसिंह गुप्ता के दाम्पत्य संबंधों से दो पुत्रियां मृतका पारूल गुप्ता, अप्रार्थी संख्या–1 श्रीमती अंजुल सिंह व एक पुत्र अप्रार्थी संख्या–2 मुकुल गुप्ता का जन्म हुआ। प्रार्थिया के पति, मृतका पारूल गुप्ता व अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के पिता तेजसिंह गुप्ता का देहान्त दिनांक 25.01.2020 को हो गया। मृतका पारूल गुप्ता का विवाह दिल्ली निवासी जे.के.बंसल के साथ दिनांक 12.03.1986 को सम्पन्न हुआ था, जिनके मध्य मनमुटाव रहने के कारण न्यायालय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के समक्ष एक

Authenticated Document

याचिका संख्या 238/88 जे.के.बंसल बनाम पारूल गुप्ता, अन्तर्गत धारा 13(1)(ia)(ib) हिन्दू विवाह अधिनियम पेश की गई, जिसके पश्चात दोनों पति पत्नी ने आपसी सहमति से धारा 13बी (2) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.1991 को निर्णय डिक्री द्वारा मृतका पारूल गुप्ता व जे.के.बंसल के मध्य दिनांक 12.03.1986 को हुए विवाह को समाप्त कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की। मृतका पारूल गुप्ता विवाह विच्छेद के बाद अपनी माता प्रार्थिया व पिता के साथ अजमेर में निवास करती रही है तथा अपने जीवनकाल में मृतका पारूल गुप्ता ने कभी भी पुनर्विवाह नहीं किया। मृतका पारूल गुप्ता व जे.के.बंसल के दाम्पत्य संबंधों से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मृतका पारूल गुप्ता अपने जीवनकाल तक निःसंतान रही। मृतका पारूल गुप्ता का यूको बैंक, शाखा छोटी खाटू राजस्थान में कुवेर जमा योजना के तहत दिनांक 07.12.2010 को एक वर्ष के लिए राशि 44,685/–रूपये की एफ.डी. करायी, जिसका नम्बर 15388832 खाता नम्बर 04490300000237 तथा जमा रसीद संख्या 497761, परिपक्व राशि 48,014/– रूपये दिनांक 07.12.2011 तक पुनः दिनांक 24.02.2015 तक परिपक्व राशि 58,825/–रूपये व पुनः नवीनीकृत राशि 58,825/–रूपये 48 माह तक 8.75 प्रतिशत की दर से दिनांक 24.02.2019 तक Fixed Deposit हुई, जिसकी परिपक्वता राशि 83,119/–रूपये हुई। इस अवधि के दौरान पारूल गुप्ता का दिनांक 26.02.2016 को निधन हो जाने के पश्चात उपरोक्त राशि की स्वतः ही पुनः नवीनीकृत Fixed Deposit दिनांक 24.02.2019 से 48 माह के लिए राशि 83,119/–रूपये दिनांक 24.02.2023 तक परिपक्वता राशि 1,20,425/–रूपये जो पुनः दिनांक 24.02.2027 तक बैंक में Fixed Deposit मृतका पारूल गुप्ता के नाम जमा है, जिसे मय ब्याज प्रार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी है। मृतका की जमा राशि का विवरण प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में दिया गया है। मृतका ने उक्त जमा राशि बाबत कोई वसीयत, ईच्छा पत्र निष्पादित नहीं किया, ना ही कोई नॉमिनी छोड़ा है। अप्रार्थी बैंक से उक्त राशि की मांग करने पर प्रार्थिया से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की मांग की गई है। अतः में प्रार्थिया के पक्ष में उसकी पुत्री की अप्रार्थी संख्या–3 के यहां कुबेर योजना जमा स्कीम की जमा राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' का विवरण निम्न प्रकार है।

Authenticated Document

अनुसूची 'अ'

क्र. सं.	जिससे राशि प्राप्त होनी है	राशि का विवरण	राशि रूपये
1	यूको बैंक शाखा छोटी खाटू राजस्थान	कुबेर योजना स्कीम के तहत दिनांक 07.12.2010 को जमा राशि रूपये 44685/– से 24.02.2023 तक राशि 1,20,425/–रूपये तथा दिनांक 24.02.2023 को स्वतः नवीनीकरण एफ.डी.राशि 1,20,425/–रूपये 8.75 प्रतिशत ब्याज दर पर दिनांक 24.02.2027 तक जमा है, जिसकी मैच्यूरिटी राशि प्राप्त करने की अधिकारी है	एफ.डी.राशि दिनांक 24.02.2023 से राशि 1,20,425/–रूपये दिनांक 27.02.2027 तक पर ब्याज 8.75 प्रतिशत से मैच्यूरिटी राशि प्राप्त करने की अधिकारी है

2. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुए सम्मन जारी किये गये, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के दिनांक 10.03.2025 के अंक में करवाया गया तथा सम्मन सार्वजनिक स्थल पर भी चस्पा किये गये, किन्तु कोई आपत्तिकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत हुई। अप्रार्थीगण को भी सम्मन प्रेषित किये गये।

3. अप्रार्थी संख्या–1 व अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थिया के पक्ष में मृतका की अप्रार्थी संख्या–3 के यहां जमा राशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने में अनापत्ति प्रकट की।

4. अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 01.11.2025 से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

5. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न बिन्दु विरचित किये गये–

1. आया प्रार्थिया, प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वर्गीय पारूल गुप्ता की माता होने के नाते उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है?

   – प्रार्थिया

2. अनुतोष ?

6. प्रार्थिया की ओर से साक्ष्य में ए.डब्ल्यू.1 श्रीमती मीना गुप्ता ने मुख्य परीक्षा के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया, जिसमें उसने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की अक्षरशः पुनरावृत्ति करते हुए अभिकथित किया कि प्रार्थिया की पुत्री पारूल गुप्ता का देहान्त दिनांक 26.02.2016 को राजीव गांधी कैंसर इन्स्टीटयूट सेक्टर 5 रोहणी न्यू दिल्ली अस्पताल में हो गया। प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति तेजसिंह गुप्ता के दाम्पत्य संबंधों से दो पुत्रियां मृतका पारूल गुप्ता, अप्रार्थी संख्या–1 श्रीमती अंजुल सिंह व एक पुत्र अप्रार्थी संख्या–2

मुकुल गुप्ता का जन्म हुआ। प्रार्थिया के पति, मृतका पारूल गुप्ता व अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के पिता तेजसिंह गुप्ता का देहान्त दिनांक 25.01.2020 को हो गया। मृतका पारूल गुप्ता का विवाह दिल्ली निवासी जे.के.बंसल के साथ दिनांक 12.03.1986 को सम्पन्न हुआ था, जिनके मध्य मनमुटाव रहने के कारण न्यायालय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के समक्ष एक याचिका संख्या 238/88 जे.के.बंसल बनाम पारूल गुप्ता, अन्तर्गत धारा 13(1)(ia)(ib) हिन्दू विवाह अधिनियम पेश की गई, जिसके पश्चात दोनों पति पत्नी ने आपसी सहमति से धारा 13 बी (2) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.1991 को निर्णय डिक्री द्वारा मृतका पारूल गुप्ता व जे.के.बंसल के मध्य दिनांक 12.03.1986 को हुए विवाह को समाप्त कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की। मृतका पारूल गुप्ता विवाह विच्छेद के बाद अपनी माता के साथ अजमेर में निवास करती रही है तथा अपने जीवनकाल में मृतका पारूल गुप्ता ने कभी भी पुनर्विवाह नहीं किया। मृतका ने कभी पुनर्विवाह नहीं किया। मृतका पारूल गुप्ता अपने जीवनकाल तक निःसंतान रही। मृतका पारूल गुप्ता का यूको बैंक, शाखा छोटी खाटू राजस्थान में कुवेर जमा योजना के तहत दिनांक 07.12.2010 को एक वर्ष के लिए राशि 44,685/–रूपये की एफ.डी. करायी, जिसका नम्बर 15388832 खाता नम्बर 04490300000237 तथा जमा रसीद संख्या 497761, परिपक्व राशि 48,014/– रूपये दिनांक 07.12.2011 तक पुनः दिनांक 24.02.2015 तक परिपक्व राशि 58,825/–रूपये व पुनः नवीनीकृत राशि 58,825/–रूपये 48 माह तक 8.75 प्रतिशत की दर से दिनांक 24.02.2019 तक Fixed Deposit हुई, जिसकी परिपक्वता राशि 83,119/–रूपये हुई। इस अवधि के दौरान पारूल गुप्ता का दिनांक 26.02.2016 को निधन हो जाने के पश्चात उपरोक्त राशि की स्वतः ही पुनः नवीनीकृत Fixed Deposit दिनांक 24.02.2019 से 48 माह के लिए राशि 83,119/–रूपये दिनांक 24.02.2023 तक परिपक्वता राशि 1,20,425/–रूपये जो पुनः दिनांक 24.02.2027 तक बैंक में Fixed Deposit मृतका पारूल गुप्ता के नाम जमा है, जिसे मय ब्याज प्रार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी है। मृतका की जमा राशि का विवरण प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में दिया गया है। मृतका ने उक्त जमा राशि बाबत कोई वसीयत, ईच्छा पत्र निष्पादित नहीं किया, ना ही कोई नॉमिनी छोड़ा है। अप्रार्थी बैंक से उक्त राशि की मांग करने पर प्रार्थिया से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की मांग की गई है। न्यायालय के बयान में प्रार्थिया ने प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 पारूल गुप्ता का मृत्यु प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–2 तेज सिंह गुप्ता का मृत्यु प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–3 तलाक का निर्णय, प्रदर्श–4 तलाक का न्यायालय का

निर्णय, प्रदर्श–5 मूल एफ.डी.आर. 497761 को प्रदर्शित कराया गया। अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 2 की ओर से गवाह से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया, ना ही साक्ष्य पेश की गई।

7. प्रार्थिया की ओर से उसकी पुत्री पारूल गुप्ता की अप्रार्थी संख्या–3 के यहां जमा राशि के विवरण के सम्बन्ध में संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 06.03.2026 प्रस्तुत की गई, जो निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	जिससे राशि प्राप्त होनी है	राशि का विवरण	राशि रूपये
1	यूको बैंक शाखा छोटी खाटू जिला नागौर राजस्थान में कुबेर योजना में एफ.डी.नम्बर 15388832 खाता संख्या 04490300000237 के तहत जमा राशि जिसकी रसीद संख्या 49776 है, जिसकी दिनांक 24.02.2027 तक परिपक्वता राशि 1,37,412/– रूपये है।	कुबेर योजना स्कीम के तहत दिनांक 24.02.2023 को स्वतः नवीनीकरण एफ.डी. राशि 1,07,435/–रूपये 6.2 प्रतिशत ब्याज दर पर दिनांक 24.02.2027 तक जमा है, जिसकी परिपक्वता राशि 1,37,412/– अक्षरे एक लाख सैंतीस हजार चार सौ बारह रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है।	एफ.डी. परिपक्वता राशि 1,37,412/–अक्षरे एक लाख सैंतीस हजार चार सौ बारह रूपये।

8. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

<u>विवाद्यक संख्या–1–</u>

9. प्रार्थिया की ओर से यह प्रार्थना–पत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत अपनी पुत्री पारूल गुप्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 06.03.2026 में वर्णित राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रार्थिया स्वयं ने साक्ष्य में परीक्षित होकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 पारूल गुप्ता का मृत्यु प्रमाण–पत्र है, जिससे उसकी मृत्यु दिनांक 26.02.2016 को होना व उसके पिता का नाम टी.एस.गुप्ता होना प्रकट होता है। प्रदर्श–2 तेज सिंह गुप्ता का मृत्यु प्रमाण–पत्र है, जिससे उनकी मृत्यु दिनांक 25.01.2020 को होना व उनकी पत्नी का नाम मीना गुप्ता होना प्रकट होता है। प्रदर्श–3 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा H.M.A.No. 238/88 श्री जे.के.बंसल बनाम श्रीमती पारूल गुप्ता में आपसी सहमति से तलाक हेतु प्रस्तुत याचिका में पारित निर्णय दिनांक 17.08.1991 की प्रति है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि जे.के.बंसल व श्रीमती पारूल गुप्ता के मध्य हुए विवाह को हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी)(2) के तहत आपसी सहमति से विघटित(समाप्त) किया गया। प्रदर्श–4 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा H.M.A.No. 238/88 श्री जे.के.बंसल बनाम श्रीमती पारूल गुप्ता में आपसी सहमति से सम्पन्न हुए तलाक की डिक्री की प्रति है। प्रदर्श–5 यूको बैंक, छोटू खाटू द्वारा

Authenticated Document

पारूल गुप्ता पुत्री टी.सी.गुप्ता के नाम कुबेर योजना जमा स्कीम की जमा रसीद संख्या K 497761 खाता संख्या 04490300000237 दिनांकित 07.12.2010 की प्रति है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त स्कीम के तहत दिनांक 07.12.2010 को राशि 44685/–रूपये जमा करवायी गयी थी, जो समय–समय पर रिन्यूवल की गई है और दिनांक 24.02.2027 को परिपक्वता राशि 1,37,412/–रूपये होना प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रकट होता है।

10. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या–1 व 2 मृतका पारूल गुप्ता की माता व बहन–भाई है। मृतका पारूल गुप्ता की मृत्यु होना उसके मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–1 से प्रकट होता है। मृतका पारूल गुप्ता का विवाह जे.के.बंसल से होना और उनके मध्य आपसी सहमति से विवाह विच्छेद होना अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा पारित निर्णय प्रदर्श–3 व डिक्री प्रदर्श–4 से साबित होता है। मृतका पारूल गुप्ता द्वारा अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या–3 के यहां कुबेर योजना जमा स्कीम के तहत राशि जमा करवायी गयी थी, जिसकी पुष्टि प्रदर्श–5 यूको बैंक द्वारा जारी जमा रसीद संख्या K 497761 खाता संख्या 04490300000237 दिनांकित 07.12.2010 से होती है। मृतका के प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं होना प्रकट होता है।

11. अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मृतका पारूल गुप्ता के प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः माता, बहन व भाई होकर विधिक वारिसान हैं। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 द्वारा मृतका पारूल गुप्ता द्वारा छोड़ी गयी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 06.03.2026 में वर्णित राशि के सम्बन्ध में प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर व दौराने बहस अनापत्ति प्रकट की गई है। अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से आदेशिका दिनांक 01.11.2025 से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। अतः तथ्यों व विधि का विवाद नहीं होने से मृतका पारूल गुप्ता के द्वारा छोड़ी गयी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांक 06.03.2026 में वर्णित राशि के बाबत प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः विवाद्यक संख्या–1 का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

Authenticated Document

विवाद्यक संख्या 02: अनुतोष:–

12. विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय एवं किये गये विवेचन के आधार पर प्रार्थिया श्रीमती मीना गुप्ता मृतका पारूल गुप्ता द्वारा छोड़ी गई प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' दिनांकित 06.03.2026 में वर्णित राशि प्राप्त करने का अधिकारिणी है।

13. परिणामतः प्रार्थिया श्रीमती मीना गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया श्रीमती मीना गुप्ता को मृतका पारूल गुप्ता का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। प्रार्थिया श्रीमती मीना गुप्ता मृतका पारूल गुप्ता के नाम से अप्रार्थी संख्या–3 यूको बैंक, छोटी खाटू, जिला चुरू (राजस्थान) जरिये शाखा प्रबन्धक के यहां जमा राशि, जिसका विवरण प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची 'अ' 06.03.2026 में दिया गया है, जो निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	जिससे राशि प्राप्त होनी है	राशि का विवरण	राशि रूपये
1	यूको बैंक शाखा छोटी खाटू जिला नागौर राजस्थान में कुबेर योजना में एफ.डी.नम्बर 15388832 खाता संख्या 04490300000237 के तहत जमा राशि जिसकी रसीद संख्या 49776 है, जिसकी दिनांक 24.02.2027 तक परिपक्वता राशि 1,37,412/– रूपये है।	कुबेर योजना स्कीम के तहत दिनांक 24.02.2023 को स्वतः नवीनीकरण एफ.डी. राशि 1,07,435/–रूपये 6.2 प्रतिशत ब्याज दर पर दिनांक 24.02.2027 तक जमा है, जिसकी परिपक्वता राशि 1,37,412/– अक्षरे एक लाख सैंतीस हजार चार सौ बारह रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है।	एफ.डी. परिपक्वता राशि 1,37,412/–अक्षरे एक लाख सैंतीस हजार चार सौ बारह रूपये।

मय लाभ–परिलाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

प्रार्थिया श्रीमती मीना गुप्ता द्वारा उचित न्याय शुल्क (Court Fee) पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

14. आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

DINESH MUNDRA
Digitally signed by DINESH MUNDRA
Date: 2026.03.18 17:05:03 +0530

Authenticated Document